कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/17/2026

श्री सन्दीप पचौरी निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर मो. नं. 9610255503

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 16.04.2026**

अपीलार्थी श्री सन्दीप पचौरी निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं. 060386415480362 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन, से सूचना चाही गई थी। अपील में अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, ने अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मॉगी गई सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध नहीं कराई गईं। पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/179 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने/नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन ने चाही गई सूचना, अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मॉगी गई सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध नहीं कराई गईं। पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 17 / 2026
रान्दीप पचौरी बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार उच्चैन

उक्तानुसार प्राप्त अपील पर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन के राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, ना ही इस कार्यालय को अपील के सम्बन्ध में जबाब प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधानों के तहत सूचना के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही कर अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर